

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट / सि०जज (जू०डि०) मोहम्मदी-खीरी।

मु०सं०-21 / 2019, अप०सं०-324 / 2018

सी०एन०आर०नं०-यू०पी०एल०पी०-120002912019

राज्य

बनाम

अखिलेश।

10.06.2025

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली हाजिरी के स्तर पर लम्बित है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त अखिलेश की मृत्यु आख्या सम्बन्धित थाने से प्राप्त हुई, जिसके अनुसार अभियुक्त अखिलेश की मृत्यु दिनांक 07.09.2025 में हो चुकी है। ग्राम प्रधान द्वारा मृतक प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न है।

ऐसे में अभियुक्त अखिलेश के विरुद्ध मुकदमा उपशमित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त अखिलेश के विरुद्ध मुकदमा उपशमित किया जाता है। पत्रावली पर अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह गई है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अक्षिता)

न्यायिक मजिस्ट्रेट

मोहम्मदी-खीरी।

जे०ओ०कोड-यू०पी०3582